भारतीय मानक ब्यूरो
गाजियाबाद शाखा, कार्यालय

सत्यमेव जयते

मानकः पथप्रदर्शकः
भारतीय मानक ब्यूरो

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 05 दिसम्बर, 2024

गाजियाबाद: नकली आईएसआई मार्क हेलमेट पर बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों हेलमेट जब्त

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने कार्यालय के निर्देशक और प्रमुख श्री कुमार अनिमेष के निर्देश पर नकली आईएसआई मार्क हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लोनी क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर सर्च और सीज अभियान चलाकर सैकड़ों नकली हेलमेट जब्त किए गए। यह कार्रवाई भारतीय मानक अधिनियम 2016 के तहत की गई।

पहली कार्रवाई एम/एस अमन एंटरप्राइज, प्लॉट नंबर 170, खसरा नंबर 513/4, लक्ष्मी गार्डन, लोनी में की गई। यहां से लगभग 827 हेलमेट जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान आरोपी श्री भवानी शंकर शर्मा मौके पर मौजूद थे। सभी हेलमेट जब्त कर फर्म के अधीन सुरक्षित रखे गए हैं। इसके साथ ही सबूत के तौर पर कुछ हेलमेट सील किए गए हैं।

दूसरी कार्रवाई एम/एस ज़ेडएफ एंटरप्राइज, खसरा नंबर 1464, रुप नगर, लोनी में की गई। यहां 42 नकली आईएसआई मार्क हेलमेट और 113 हेलमेट शेल्स बरामद किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी श्री फैजान जुल्फिकार मौजूद थे। जब्त सामग्रियों को फर्म के अधीन सुरक्षित रखा गया और कुछ हेलमेट सबूत के रुप में सील किए गए हैं।

इन दोनों अभियानों का नेतृत्व बीआईएस के संयुक्त निदेशक श्री नवीन के और उप निदेशक श्री हरिओम मीणा ने किया। इस कार्रवाई में गाजियाबाद पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों ने भी सहयोग किया।

बीआईएस गाजियाबाद शाखा कार्यालय के अनुसार, नकली आईएसआई मार्क उत्पादों के खिलाफ यह सख्त कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। जब्त सामग्रियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, और भारतीय मानक अधिनियम 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

बीआईएस की अपील

बीआईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल असली आईएसआई मार्क वाले उत्पाद ही खरीदें। भारतीय मानक ब्यूरो के आधिकारिक एप्प "बीआईएस केयर" का उपयोग करें

अधिक जानकारी के लिए कृपया BIS वेबसाइट पर जाएं या संपर्क करें:
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

संपर्क:
फोन: 0120-2771091, 2771092
ईमेल: gzbo@bis.gov.in
वेबसाइट: https://www.bis.gov.in/gzbo

Size_12x16_Hindi

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
GHAZIABAD BRANCH OFFICE

सत्यमेव जयते

मानकः पथप्रदर्शकः
भारतीय मानक ब्यूरो

PRESS RELEASE

Date: 05 December, 2024

GHAZIABAD: BIS TAKES BIG ACTION AGAINST FAKE ISI MARK HELMETS, HUNDREDS OF HELMETS SEIZED

BIS Ghaziabad Branch Office team carried out a search and seizure operation at M/s. ZF Enterprise, Khasra Number 1464, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad, UP 201102. Mr. Faizan Zulfikar, accused in the violation was available during the raid. Approximate 42 Helmets and 113 pcs of ISI marked Helmet shells were available with the firm this search and seizure operation was carried out by Shri Naveen K (Joint Director) Shri Hariom Meena (Deputy Director) of Bureau of Indian Standards along with police personnel from Police lines, Ghaziabad Police. All the material has been seized and kept under superdari in the firm. Some Helmets have also been sealed for the evidence purpose. Branch Office shall file the case as per the provision of violation made as per BIS Act 2016 and the material seized shall be produced in the Court as evidence.

BIS Ghaziabad Branch Office team carried out a search and seizure operation at M/s Aman Enterprise, Plot No 170, Khasra Number 513/4, Laxmi Garden, Loni, Ghaziabad, UP 201102. Mr Bhawani Shankar Sharma, accused in the violation was available during the raid. Approximate 827 Helmets were available with the firm. This search and seizure operation was carried out by Shri Naveen K (Joint Director) Shri Hariom Meena (Deputy Director) of Bureau of Indian Standards along with police personnel from Police lines, Ghaziabad Police . All the material has been seized and kept under superdari in the firm. Some Helmets have also been sealed for the evidence purpose. Branch Office shall file the case as per the provision of violation made as per BIS Act 2016 and the material seized shall be produced in the Court as evidence.

For further information please visit the BIS website or contact:
BUREAU OF INDIAN STANDARDS (BIS)

Contact:
Phone: 0120-2771091, 2771092
Email: gzbo@bis.gov.in
Website: https://www.bis.gov.in/gzbo

Size_12x16_Eng

Arya of the Trust said. MIC (Methyl Isocyanate) both populations. since his illegal entry to the

BIS Ghaziabad Branch team carried out a search and seizure operation

OPEN SEARCH

Ghaziabad : BIS Ghaziabad Branch Office team carried out a search and seizure operation at M/s ZF Enterprise, Khasra Number 1464, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad, UP 201102. Mr Faizan Zulfikar, accused in the violation was available during the raid. Approximate 42 Helmets and 113 pcs of ISI marked Helmet shells were available with the firm. This search and seizure operation was carried out by Shri Naveen K (Joint Director) Shri Hariom Meena (Deputy Director) of Bureau of Indian Standards along with police personnel from Police lines, Ghaziabad Police. All the material has been seized and kept under superdari in the firm. Some Helmets have also been sealed for the evidence purpose. Branch Office shall file the case as per the provision of violation made as per BIS Act 2016 and the material seized shall be produced in the Court as evidence.

आज दुनिया भारत की ओर देख... 12

राष्ट्रीय शिखर

खबरों की स्वतंत्रता

सिल्वर स्क्रीन पर आमने-सामने होंगे... 11

घोषणा पत्र संख्या-05/यू0/वि0/घोषणा पत्र 2024-2025 दिनांक-15-4-2024

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 01, अंक - 231 | गाजियाबाद / गुरूवार 05 दिसंबर 2024 | Title code - UPHIN38798 | पृष्ठ-12, मूल्य - 04 रुपए

नकली आईएसआई मार्क हेलमेट पर भारतीय मानक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों हेलमेट जब्त

गाजियाबाद (शिखर समाचार) भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने कार्यालय के निर्देशक और प्रमुख कुमार अनिमेष के निर्देश पर नकली आईएसआई मार्क हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लोनी क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर सर्च और सीज अभियान चलाकर सैकड़ों नकली हेलमेट जब्त किए गए। यह कार्रवाई भारतीय मानक अधिनियम 2016 के तहत की गई। पहली कार्रवाई एमएस अमन एंटरप्राइज प्लॉट नंबर 170 खसरा नंबर 513/4 लक्ष्मी गार्डन लोनी में की गई। यहां से लगभग 827 हेलमेट जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान आरोपी भवानी शंकर शर्मा भी मौके पर मौजूद थे। सभी हेलमेट जब्त कर फर्म के अधीन सुरक्षित रखे गए हैं। इसके साथ ही सबूत के तौर पर कुछ हेलमेट सील किए गए हैं। दूसरी कार्रवाई एमएस जेडएफ एंटरप्राइज खसरा नंबर 1464 रूप नगर लोनी में की गई। यहां 42 नकली आईएसआई मार्क हेलमेट और 113 हेलमेट शेल्स बरामद किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान आरोपी फैजान जुल्फिकार भी मौजूद थे। जब्त सामग्रियों को फर्म के अधीन सुरक्षित रखा गया और कुछ हेलमेट सबूत के रूप में सील किए गए हैं।

इन दोनों अभियानों का नेतृत्व बीआईएस के संयुक्त निदेशक नवीन के और उप निदेशक हरिओम मीणा ने किया। इस कार्रवाई में गाजियाबाद पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों ने भी सहयोग किया। बीआईएस गाजियाबाद शाखा कार्यालय के अनुसार, नकली आईएसआई मार्क उत्पादों के खिलाफ यह सख्त कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। जब्त सामग्रियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, और भारतीय मानक अधिनियम 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इबीइस बारे में भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल असली आईएसआई मार्क वाले उत्पाद ही खरीदें। भारतीय मानक ब्यूरो के आधिकारिक एप्प बीआईएस केयर का उपयोग करें।